



राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर
राजस्थान के समस्त महिला एवं सहशिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के
डिप्लोमा नॉन-इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में
ऑनलाईन प्रवेश आवेदन पत्र भरने हेतु विवरणिका
सत्र 2024-25
संदर्भ सूची (Index)

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	प्रवेश के लिये सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया	1-2
3.	प्रवेश के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं	2
4.	योग्यता सूची एवं प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी	2-3
5.	प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण श्रेणी - A [(Gen/SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/MBC (Non Creamy Layer)] श्रेणी - B [(EXS(a)/ EXS(b)/ EXS(c)/EXS(d)] (For Candidates belonging to military services only as per norms) श्रेणी - C [Physically Handicapped (PH)/ Kashmiri Migrants (KM)] श्रेणी - D [(Widow/Divorcee)] श्रेणी - E [(Single Mother Dependent /Woman)]	3-7
6.	शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना	7
7.	प्रथम आवंटन	8
8.	रिपोर्टिंग प्रक्रिया	8
9.	अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन	8
10.	द्वितीय आवंटन	8
11.	आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करना	9
12.	इन्टरनल स्लाईडिंग	9
13.	सीधे प्रवेश	9
14.	अन्य सामान्य अनुदेश-रेगिंग, नामांकन, उपस्थिति, अनुशासन, स्थानान्तरण इत्यादि	9-11
15.	शुल्क	11
16.	छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क	11
17.	आरक्षण की तालिकाएं (सारणी-1)	12
18.	रिपोर्टिंग हेतु संस्थानों की सूची (सारणी-2)	13
19.	प्रवेश शुल्क (सारणी-3)	14
20.	छात्रावास शुल्क (सारणी-4)	15

परिशिष्टों का विवरण (यह प्रारूप एक पृथक लिंक द्वारा वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं)

I	शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिये प्रमाण पत्र का प्रारूप
II	राज्य कर्मचारी पर आश्रित भाई/बहिन के लिये शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिये प्रमाण पत्र का प्रारूप
III	शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना के लिये आय प्रमाण पत्र का प्रारूप
IV	सैनिकों के आश्रितों द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र
V	अनुसूचित जाति/जनजाति/नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप
VI	नॉन क्रीमी लेयर सम्बन्धी शपथ पत्र का प्रारूप
VII	प्रवजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने बाबत घोषणापत्र का प्रारूप
VIII	नाम व उपनाम में अन्तर होने बाबत शपथ पत्र का प्रारूप
IX	(a) आय का घोषणा पत्र, (b) शपथ पत्र (c) उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र
X	एकल महिला (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/35 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहिता) के आश्रितों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप
XI	आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता हेतु शपथ पत्र
XII	ऑन लाईन आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया

1. प्रस्तावना:

राज्य में वर्तमान में 119 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं जिनकी लगभग कुल प्रवेश क्षमता 23836 विद्यार्थी हैं। इनमें से 48 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में तथा 01 केन्द्र सरकार संस्थान एवं 69 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित हैं। निजी क्षेत्र में संचालित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में से 05 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निजी सार्वजनिक सहभागिता योजना के अन्तर्गत संचालित हैं। जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 747 विद्यार्थी है। इन समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा दी जाती है एवं इन्हें प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

इनमें से 35 महिला एवं सहशिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नॉन-इंजीनियरिंग ब्रांचों यथा टेक्सटाईल डिजाईनिंग, कॉस्ट्यूम डिजाईनिंग एंड ड्रेस मेकिंग, कॉमर्शियल आर्ट, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन एण्ड टेक्सटाईल डिजाईन, फैशन डिजाईनिंग तथा मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट में 03 वर्षीय तथा ब्यूटी कल्चर में 02 वर्षीय डिप्लोमा करवाया जाता है।

इन पाठ्यक्रमों का निर्धारण एवं परीक्षाओं का आयोजन प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा किया जाता है।

उक्त पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार पा सकता है एवं स्वयं का उद्यम प्रारम्भ कर सकता है। डिप्लोमा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिये इन्डस्ट्री-इन्स्टीट्यूट इन्टरैक्शन सैल के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियों में कैम्पस प्लेसमेंट के द्वारा भी रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है।

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता दसवीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण रखी गई है।

इस विवरणिका में सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा नॉन-इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये ऑन-लाईन आवेदन करने के विस्तृत दिशा-निर्देश, प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों का समावेश किया गया है। आवेदक इस विवरणिका का भली भाँति अध्ययन कर आवेदन करें।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 23 राजकीय सह शिक्षा व महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु अलग से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य कोई भी आदेश जारी करने पर वह तुरन्त प्रभाव से इस प्रक्रिया पर लागू किया जा सकेगा यथा संस्थानों की संख्या, सीटों की संख्या, आरक्षण के प्रावधान, सामान्य नियम इत्यादि। प्रवेश प्रक्रिया एवं अन्य सामान्य अनुदेश निम्नानुसार है :-

2. प्रवेश के लिये सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया:

2.1 नॉन-इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नोडल संस्था राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, गांधी नगर, जयपुर है।

इन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के विभिन्न नॉन-इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की निर्धारित प्रवेश क्षमता की अन्तरिम सूची (सीट मेट्रिक्स) सारणी-5 में दी गई है। इन प्रवेश स्थानों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। सत्र 2024-25 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों, ब्रान्च व प्रवेश क्षमता के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश स्थानों की नवीनतम जानकारी विभाग की वेब साईट पर उपलब्ध रहेगी। ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में संस्था व ब्रान्च का कोड भरने से पूर्व अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। तदुपरान्त ही ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में प्रविष्टियां करें।

वर्तमान में राज्य में स्थित विभिन्न राजकीय एवं निजी महिला/सह-शिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम सेमस्टर परीक्षा प्रणाली के आधार पर संचालित हैं। राजकीय महिला एवं सहशिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में राज्य पोषित एवं स्व-वित्त पोषित (निजी महिला

पॉलिटेक्निक) योजना के तहत स्वीकृत स्थानों पर प्रवेश किये जा रहे हैं। निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रत्येक ब्रांच में 15 प्रतिशत स्थान मैनेजमेंट कोटा के अन्तर्गत आरक्षित हैं एवं इन पर प्रवेश संस्थान द्वारा ही नियमानुसार किया जाता है। निजी जनसहभागिता योजना (Public Private Partnership Scheme) के तहत स्थापित संस्थानों में मैनेजमेंट कोटा नहीं है। इनमें अध्ययन हेतु दिये जाने वाले शुल्क का विवरण सारणी-3 पर उपलब्ध है। नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि दो/तीन वर्ष की है एवं शुल्क प्रतिवर्ष लिया जायेगा। पात्र अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में मिलने वाली छूट के लिये निर्धारित प्रारूप, परिशिष्ट-I एवं II पर उपलब्ध है।

2.2 **आवेदन करना:**—नॉन-इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को राजस्थान हायर एज्युकेशन पोर्टल hte.rajasthan.gov.in पर आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाकर **ऑन लाईन ही आवेदन** करना होगा। आवेदन पत्र SUBMIT होने पर आवेदक को इसकी सूचना ई मेल/मैसेज से प्राप्त होगी। नाम व उपनाम में अन्तर की अवस्था में परिशिष्ट-VIII का उपयोग करे। ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं आप्शन फार्म भरने हेतु विस्तृत प्रक्रिया इस विवरणिका में परिशिष्ट-XI पर उपलब्ध है। **अभ्यर्थी को आवेदन करते समय आधार नम्बर प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।**

3. प्रवेश के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:

- अभ्यर्थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- अन्य बोर्ड की परीक्षाओं की समकक्षता के निर्धारण हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की नवीनतम अनुदेशिका-2020 (वेब साईट लिंक <https://rajeduboard.rajasthan.gov.in/anudeshika-etc/Anudeshika-2020.pdf> के अनुसार) एवं सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली द्वारा समकक्ष निर्धारित की गई परीक्षाएँ ही मान्य होगी।

3.1 **आयु सीमा :** प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की कोई आयु सीमा नहीं है।

3.2 **आवेदन पत्रों की जांच:** आनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों व संलग्न प्रमाण पत्रों की जांच उपरान्त आवेदक को ई-मेल/एस.एम.एस. एवं निदेशालय की वेबसाईट dte.rajasthan.gov.in के द्वारा आवेदन पत्र में रही कमियों से अवगत करवाया जायेगा। कमियों में सुधार हेतु आवेदक पोर्टल पर लॉग-इन कर, सुधार हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज स्कैन कर पुनः अपलोड करेगा। यदि आवेदक के प्रमाण पत्र में कमी के कारण आवेदन पत्र अपूर्ण रहता है तो संयोजक द्वारा वह आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है।

3.3 **श्रेणीवार अस्थाई योग्यता सूची :** समस्त आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त श्रेणीवार अस्थाई योग्यता सूची जारी की जायेगी। अभ्यर्थी पोर्टल पर निर्धारित तिथि पर अपना योग्यता सूची क्रमांक देख सकता है। इसमें किसी प्रकार का संशय होने पर संशोधन हेतु ऑनलाईन प्रार्थना पत्र मय आवश्यक प्रमाण पत्र, निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकेगा। इन समस्त आपत्तियों के निराकरण उपरान्त ही प्रवेश हेतु श्रेणीवार अंतिम योग्यता सूची जारी की जायेगी। इसके पश्चात् योग्यता सूची में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।

4. योग्यता सूची एवं प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी:

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न प्रक्रिया/नियमों के तहत योग्यता सूची जारी की जायेगी :

4.1 योग्यता सूची जारी करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा –

• **Preferential category-1**

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थी Preferential category-1 के अन्तर्गत आयेंगे।

1(A) जिन अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा राजस्थान में स्थित किसी स्कूल से नियमित अध्ययन कर उत्तीर्ण की हो।

अथवा

1(B) अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।

अथवा

1(C) अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के कर्मचारी की संतान/पत्नी हो ।

अथवा

1(D) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के बोर्ड, कार्पोरेशन, विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान/पत्नी जिनका पदस्थापन राजस्थान में स्थित कार्यालय में हो ।

• **Preferential category—2**

Preferential category—1 के अतिरिक्त अन्य समस्त अभ्यर्थी, जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, वे Preferential category— 2 में सम्मिलित होंगे ।

Preferential category—1 की श्रेणीवार योग्यता सूची जारी की जाती है तथा Preferential category—2 के अभ्यर्थियों को इस योग्यता सूची (सामान्य श्रेणी का मानते हुए) के अन्त में स्थान दिया जाता है ।

4.2 उपरोक्त प्राथमिकताओं के दृष्टिगत, योग्यता क्रमांक निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा:—

4.2.1 डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी अगर पुनः अलग ब्रांच में प्रवेश के लिए आवेदन करता है तो उसे समस्त प्रक्रिया में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ।

4.2.2 योग्यता सूची अभ्यर्थी द्वारा माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष अथवा अन्य उच्च परीक्षा जिसमें भी उच्चतर अंक हो, में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर बनाई जावेगी ।

जिन अभ्यर्थी ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/काउन्सिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (C.I.S.C.)/ इंडियन काउन्सिल फॉर सैकण्डरी एज्युकेशन (I.C.S.E.) से दसवीं परीक्षा पास की है, मार्कशीट पर अंकित प्रतिशत को लेना है जो मार्कशीट पर उल्लेखित है अथवा उसकी अंक तालिका में अंकित सभी विषयों के योग के अंकित प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा । माध्यमिक परीक्षा में CGPA/GPA प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अंको की गणना CGPA/GPA को 9.5 से गुणा करने के बाद योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा ।

4.2.3 पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण होने अथवा अंक सुधार की स्थिति में बोर्ड द्वारा जारी अंतिम अंक तालिका के प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता क्रमांक का निर्धारण किया जायेगा ।

4.2.4 अगर एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत बराबर हो तो पहले जन्म तिथि (अधिक उम्र) अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी । उपरोक्त सभी समान होने पर योग्यता सूची में स्थान का निर्धारण अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी वर्णमाला (English Alphabet) के क्रमानुसार किया जायेगा । (A से Z के क्रम में) ।

5. प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण:

ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

श्रेणी—A: [GEN/ SC/ ST/ OBC (Non Creamy Layer), MBC (Non Creamy Layer/ EWS (Economically Weaker section)]

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

श्रेणी—B: [EXS(a)/ EXS(b)/ EXS(c)/EXS(d) (For Candidates belonging to military services only as per norms)]

श्रेणी—C: [Kashmiri Migrants (KM) / Physically Handicapped (PH)]

श्रेणी—D: (Widow/ Divorcee)

तथा

श्रेणी—E: (Single Mother Dependent)

को आवश्यक निर्धारित प्रमाण पत्र (परिशिष्ट—IV/V/IX etc.) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा। आरक्षण हेतु समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान इन पर लागू रहेंगे।

5.1 Category - A

राज्य के सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति (Scheduled Caste, SC) के लिये 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe, ST) के लिये 12 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) (Other Backward Class, Non-Creamy layer) को 21 प्रतिशत आरक्षण देय है।

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक 7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 08.03.2019 की अनुपालना में अति पिछड़े वर्ग (MBC) हेतु वर्ष भर की कुल प्रवेश क्षमता का 5 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 11(125) एम. बी. सी. /आर. एण्डपी/सान्याअवि /2012/36543 जयपुर दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु जारी जाति प्रमाण-पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग (MBC) जाति का स्पष्ट उल्लेख हो तथा आवेदन द्वारा अति पिछड़ा वर्ग लाभा के लिए आवेदन किया हो को अति पिछड़ा वर्ग (MBC) में सम्मिलित पांच जातियों यथा 1. बंजारा बालदिया 2. गडिया लोहार गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी, देबासी 5. गडरिया (गाडरी,) गायरी को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर), अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की प्रारम्भिक तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर, इन श्रेणियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिये निर्धारित प्रारूप, परिशिष्ट—VI में अन्डरटेकिंग देनी होगी। प्रमाण पत्र, राज्य सरकार के नियमानुसार इस अन्डरटेकिंग के साथ अधिकतम 3 वर्षों तक मान्य होगा।

EWS आरक्षण: [आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग [Economically Weaker Section (EWS)]:

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.7(2) कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 29.03.2019 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 11/आ.क.व./डीडीबीसी/सान्याअवि /19/14278 दिनांक 12.03.2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (**Economically Weaker Sections- EWS**) के व्यक्तियों को (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्रदत्त आरक्षण के अतिरिक्त) राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में कुल प्रवेश क्षमता की सीटों में से 10 प्रतिशत स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (**Economically Weaker Sections- EWS**) के लिए प्रवेश सामान्य वर्ग की सीटों में से आरक्षित होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11()/आकव/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28046 जयपुर दिनांक 06/05/2022 के अनुसार अगर एक बार **Income & Asset Certificate (EWS)** जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सम्पादित शपथ-पत्र परिशिष्ट.—XI के आधार पर पूर्व में जारी **Income & Asset Certificate (EWS)** को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जा सकता है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की प्रारम्भिक तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर, इन श्रेणियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिये निर्धारित प्रारूप, परिशिष्ट—XI में अन्डरटेकिंग देनी होगी। प्रमाण पत्र, राज्य सरकार के नियमानुसार इस अन्डरटेकिंग के साथ अधिकतम 3 वर्षों तक मान्य होगा।

5.1.1 कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 01.06.2018 में वर्णित टी.एस.पी. एरिया में संशोधन के आधार पर एवं भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19.05.2018 में वर्णित टी.एस.पी. एरिया

के अन्तर्गत संशोधन के आधार पर राज्य की सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 8 जिले यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली एवं सिरौही जिले के अधिसूचित भाग को सम्मिलित करते हुए इन क्षेत्रों के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के युवाओं को पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में निर्धारित 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण सम्पूर्ण राज्य में स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा स्वीकृत प्रवेश स्थानों पर लागू होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिये निर्धारित 12 प्रतिशत की सीमा के अध्याधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे।

5.2 Category - B : भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों; सैनिकों के आश्रितों के लिये आरक्षण :

5.2.1 राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.1(47)त.शि./2007 दिनांक 18.03.08 के क्रम में रक्षा कार्मिकों हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रावधान किया गया है। इस श्रेणी में प्रवेश हेतु निम्न प्राथमिकता अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

आरक्षण प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी परिशिष्ट-IV में दिये गये प्रारूप में आवश्यक प्रमाण पत्र एवं **Discharge certificate and Pension Payment Order** के आवश्यक 2-3 मुख पृष्ठों की स्केन कॉपी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय **Discharge Certificate and Pension Payment Order** की मूल एवं इसकी एक स्व-प्रमाणित छाया प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक **F.No.6(1)/2017/D(Res.II) Dated May 21, 2018** के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों/सैनिकों के आश्रितों को निम्नानुसार आरक्षण में वरियता प्रदान की जायेगी।

Priority I : Widows/Wards of Defence Personnel killed in action.

Priority II : Wards of disabled in action and boarded out from service.

Priority III : Widows/Wards of Defence personnel who died while in service with death attributable to military service.

Priority IV : Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

Priority V : Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards :

i. Param Vir Chakra

ii. Ashok Chakra

iii. Maha Vir Chakra

iv. Kirti Chakra

v. Vir Chakra

vi. Shaurya Chakra

vii. Sena, Nau Sena, Vayu Sena Medal

viii. Mention-in-Despatches.

Priority VI : Wards of Ex-Servicemen

Priority VII : Wives of :

i) defence personnel disabled in action and boarded out from service.

ii) defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

iii) ex-servicemen and service personnel who are in receipt of Gallantry Awards.

Priority VIII : Wards of Serving Personnel.

Priority IX : Wives of Serving Personnel.

Priority X : Ex-Servicemen

5.2.2 The domicile requirement for the wards of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off. For wards of Defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan, the domicile condition is waived off to enable them to be selected in general quota. However, they would not be eligible for the above-mentioned concessions.

5.2.3 गेलेन्टरी अवार्ड विजेता के अलावा शेष सभी सेवारत रक्षा कार्मिकों के पुत्र/पुत्रियों को, रक्षा कार्मिकों हेतु क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय नहीं है।

5.2.4 बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. व अन्य पुलिस कर्मियों की सन्तानों के लिये आरक्षण नहीं है। जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा।

5.3 Category – C : निशक्त:जन के लिये आरक्षण:

5.3.1 राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में नि:शक्त अभ्यर्थियों (PH) के उपलब्ध होने पर उनको प्रवेश क्षमता के चार (04) प्रतिशत स्थानों पर योग्यता क्रमांक के आधार पर दिये जायेगे। ये स्थान जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है उसी श्रेणी के प्रवेश स्थानों में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जायेंगे।

5.3.2 उक्त आरक्षण का लाभ वे समस्त नि:शक्तजन ले सकेंगे जो पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं भी पूरी करते हों। नि:शक्त अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं पूरी करता है अथवा नहीं, तथा वह किस ब्रान्च के योग्य है, इसका निर्णय संस्था स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। प्रवेश के संबंध में संयोजक, प्रवेश कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

5.4 Category - D: विधवा एवं तलाकशुदा महिला के आरक्षण के प्रावधान:

महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विधवा, तलाकशुदा महिला एवं अनाथ आश्रम में रहवासिनियों के उपलब्ध होने पर प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान योग्यता के आधार पर भरे जायेंगे। ये स्थान जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है उसी श्रेणी के प्रवेश स्थानों में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जायेंगे।

5.5 Category - E: एकल महिला के बच्चों/आश्रितों के लिये आरक्षण के प्रावधान:

राज्य सरकार द्वारा एकल महिला (अर्थात विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, 35 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिला) के बच्चों/आश्रितों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। यह आरक्षण क्षैतिज होगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-X पर उपलब्ध है।

नोट :-

(i) महिला पॉलिटेक्निक में उपरोक्त स्थानों पर पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

6. पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्य (Super Numerary) स्थानों पर प्रवेश के प्रावधान:

6.1 कश्मीरी विस्थापितों/कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दु परिवार (अविस्थापित) के लिये प्रवेश प्रावधान :
[Seat for Kashamiri Migrants / Kashmiri Pandits/ Kashmiri Hindu Families (Non Migrants)]

5% of total intake capacity over and above the sanctioned strength in each of the institutions will be reserved for Kashamiri Migrants / Kashmiri Pandits/ Kashmiri Hindu Families (Non Migrants)]. Sons/ Daughters of displaced persons from Jammu & Kashmir shall be eligible for admission to Diploma Courses.

The candidate will submit a certificate from the competent authority as a proof of being son/daughter of displaced persons from Jammu & Kashmir.

6.2 शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना (Tuition Fee Waiver Scheme):

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) नई दिल्ली की APH 2024-27 के अनुसार TFWS की सीटों के निर्धारण हेतु जिस शाखा में पिछले वर्ष में अगर 50 प्रतिशत से उपर प्रवेश हुए हैं तो वर्तमान सत्र में TFWS की 05 प्रतिशत सीट जोड़कर प्रवेश दिये जाने हैं। इस योजनान्तर्गत अभ्यर्थियों को सारणी-3 (क्रम सं. 2) में दर्शाये गये शिक्षण शुल्क की छूट प्रदान की जायेगी। आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 8.00 लाख से कम होनी चाहिये।

इस योजना का लाभ तब ही दिया जायेगा जब संस्थान में संबंधित ब्रांच में प्रवेश अधिसंख्य स्थानों को सम्मिलित करते हुए पूर्ण हो जाते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी अंतिम आवंटित महाविद्यालय में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, परिशिष्ट-III में प्रस्तुत करेगा। इसके अभाव में TFWS योजनान्तर्गत आवंटन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें केन्द्रीय प्रवेश के माध्यम से TFWS योजनान्तर्गत सीट का आवंटन होता है, उसे इस योजना में प्राथमिकता रहेगी। केन्द्रीय प्रवेश के पश्चात रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के सभी चरणों के उपरान्त प्रवेश क्षमता के अनुसार पूर्ण प्रवेश हो जाने पर सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा शाखा वार वरियता सूची के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को ही TFWS लाभ देय होगा।

इस योजना के अन्तर्गत प्रवेशित/लाभान्वित अभ्यर्थी को यदि अपवर्ड मूवमेन्ट, इन्टरनल स्लाईडिंग, द्वितीय वर्ष में ब्रान्च में परिवर्तन/द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में संस्थान स्थानान्तरण करवाता हैं तो TFWS योजना का लाभ देय नहीं होगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी अंतिम आवंटित महाविद्यालय में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, परिशिष्ट-III या IX में प्रस्तुत करेगा।

6.3 उपरोक्त श्रेणियों की केटेगरी B, C, D, E तथा कश्मीरी विस्थापित श्रेणियों के योग्य अभ्यर्थियों को संस्थान व ब्रान्च में सीट का आवंटन उनके द्वारा भरे गये विकल्प पत्र (option form) में अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों की वरियता के क्रम में योग्यता क्रमांक एवं संस्थानों में श्रेणीवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर कम्प्यूटराईज्ड ऑनलाइन पद्धति द्वारा किया जावेगा।

6.4 केटेगरी B, C, D, E तथा कश्मीरी विस्थापित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सीट आवंटन हो जाने के उपरान्त आगे की आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके उपरान्त शेष रहे अभ्यर्थियों को इन श्रेणियों का लाभ नहीं देते हुए, आनलाईन आवंटन में सम्मिलित किया जाता है।

7. प्रथम आवंटन: (First Allotment):

Ex-S/ KM/ PH/ WD/ Single Mother Child & dependent की ऑनलाइन सीट आवंटन के उपरान्त शेष रहे समस्त अभ्यर्थियों के लिये संस्था एवं ब्रांच का आवंटन उनके द्वारा भरे गये विकल्प पत्र (option form) में अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों की वरीयता के क्रम में योग्यता क्रमांक एवं संस्थानों में श्रेणीवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा किया जायेगा। यह आवंटन पूर्णतया अन्तरिम (Provisional) होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विकल्प पत्र में प्रस्तुत विकल्पों में से सीट आवंटन नहीं होता है अर्थात् choice exhaust हो जाती है, उन्हें स्वतः ही द्वितीय आवंटन में सम्मिलित किया जायेगा।

7.1 प्रथम आवंटन में उपरोक्त में से किसी श्रेणी हेतु आरक्षित स्थानों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी से भरे जायेंगे।

8. रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया:

प्रथम आवंटन के उपरान्त वे अभ्यर्थी जिन्हें राजकीय संस्था एवं ब्रांच आवंटित होती हैं, वे नोडल सेन्टर पर निर्धारित अवधि में अभ्यर्थी/अभिभावक उपस्थित होकर मूल प्रमाण-पत्रों की जांच करवायेगा। साथ ही उसे प्रवेश हेतु आंशिक शुल्क रूपये 1000/—(Non-refundable but Adjustable in Fees) ई-मित्र/एच.टी.ई. के लिंक में बैंक के पोर्टल पर जमा करवाना होगा। रिपोर्टिंग के लिये अभ्यर्थी निर्धारित नोडल सेन्टर, जिनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, इस हेतु रिपोर्टिंग संस्थानों की सारणी-2 देखें। में से किसी भी नोडल सेन्टर पर मूल प्रमाण पत्र व शुल्क चालान के साथ रिपोर्ट कर सकेगा। रिपोर्ट नहीं करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जायेगा एवं उस स्थान को प्रवेश के आगामी चरणों में रिक्त स्थानों में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

9. अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन करना:

प्रथम आवंटन में आवंटित स्थान से विकल्प पत्र में प्रस्तुत उच्च विकल्पों पर प्रवेश दिया जाने की प्रक्रिया अपवर्ड मूवमेन्ट कहलाएगी। अतः प्रथम आवंटन में जिन अभ्यर्थियों को स्थान एवं ब्रांच आवंटित हो जाती हैं तथा वे उच्च विकल्प पर प्रवेश चाहते हैं, वे रिपोर्टिंग के उपरान्त अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु निर्धारित प्रारूप में आवंटित संस्था पर आवेदन कर सकते हैं। अपवर्ड मूवमेन्ट के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः उच्च विकल्पों पर प्रवेश के लिये द्वितीय आवंटन में सम्मिलित किया जाता है। अपवर्ड मूवमेन्ट होने पर अभ्यर्थी को पूर्व में किया गया आवंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा।

9.1 नोडल सेन्टर पर रिपोर्ट करते समय मूल प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान यदि उचित दस्तावेज के अभाव में अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द होता है, तो उसे अतिरिक्त अवसर देने के लिये द्वितीय आवंटन में संयोजक को प्रार्थना पत्र एवं सही दस्तावेज व्यक्तिशः (अभ्यर्थी/अभिभावक) प्रस्तुत करने पर शेष रहे स्थानों पर सम्मिलित किया जा सकेगा।

10. द्वितीय आवंटन (Second Allotment):

प्रथम आवंटन की रिपोर्टिंग के पश्चात रिक्त रहे स्थानों पर choice exhausted and upward movement अभ्यर्थियों को द्वितीय आवंटन किया जायेगा।

10.1 द्वितीय आवंटन उपरान्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम बार सीट आवंटन हुआ है वे रिपोर्ट करने के लिये आवंटित संस्था में उपस्थित होंगे। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया प्रथम रिपोर्टिंग की भांति ही रहेगी। जिन अभ्यर्थियों के अपवर्ड मूवमेन्ट के बाद द्वितीय आवंटन के कारण स्थान परिवर्तित होता है, उन्हें सीधे ही अंतिम आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करना है, अन्यथा उनका प्रथम एवं द्वितीय आवंटन निरस्त हो जायेगा।

11. **आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करना:** समस्त अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय आवंटन में संस्थान एवं ब्रांच का आवंटन हुआ है, वे अंतिम आवंटित महाविद्यालय में मूल दस्तावेज एवं शेष शुल्क सहित निर्धारित अवधि में उपस्थित होंगे। ऐसा नहीं करने पर उनका आवंटन रद्द हो जायेगा।
12. **इन्टरनल स्लाइडिंग (Internal Sliding):**
संस्थान स्तर पर की जाने वाली इन्टरनल स्लाइडिंग के तहत प्रत्येक संस्थान में ऑनलाईन काउन्सलिंग के प्रथम एवं द्वितीय आवंटन तथा उसकी रिपोर्टिंग का कार्य पूर्ण होने पर संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों को अन्तर ब्रांच परिवर्तन का अवसर दिया जायेगा। इस हेतु ब्रांचवार रिक्त रहे स्थानों की गणना कर संस्थान स्तर पर प्राप्त आवेदनों की श्रेणीवार मेरिट बना कर इन्टरनल स्लाइडिंग की जायेगी। शेष रहे स्थानों पर सामान्य मेरिट सूची बनाकर ब्रांच परिवर्तन किया जायेगा। उल्लेखनीय हैं कि स्ववित्त पोषित ब्रांच में प्रवेशित अभ्यर्थी उसी संस्थान में उपलब्ध राज्य पोषित ब्रांच एवं राज्य पोषित ब्रांच अभ्यर्थी वाले स्ववित्त पोषित ब्रांच में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिये नियमानुसार शुल्क देय होगा।
13. **सीधे प्रवेश (Direct Admissions):**
 - 13.1 केन्द्रीय प्रवेश की समस्त प्रक्रिया उपरोक्तानुसार पूर्ण हो जाने के पश्चात संस्थानों में रिक्त रहे स्थानों के लिए संस्थानवार प्रवेश किये जायेंगे। इस हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करवाकर आवेदन की प्रक्रिया दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी।
 - 13.2 उपरोक्तानुसार प्रत्येक संस्थान के लिये अभ्यर्थी सम्बंधित संस्थान में निर्धारित शुल्क (सारणी-3 के अनुसार) एवं मूल दस्तावेज संस्थान में जमा करवाने होंगे। सीट आवंटन के लिए आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त योग्यता सूची बनाकर व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा आवंटन किया जायेगा। शुल्क में छूट के लिये परिशिष्ट -I & II देखें।
 - 13.3 संस्थान स्तर पर सीधे प्रवेश पहले के जैसे ही चलाये जाये एवं प्रथम दिन ही आरक्षित सीटों के अनुसार प्रवेश दिये जायेगे अगर आरक्षित श्रेणी के स्थान रिक्त रह जाते हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे जायेगे।
14. **अन्य सामान्य अनुदेश :**
 - 14.1 समस्त प्रवेश प्रक्रिया के समय नोडल सेन्टर पर प्रत्येक प्रवेश के बाद समस्त महाविद्यालयों से प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी के रिकॉर्ड हार्ड कॉपी में समस्त दस्तावेज यथा फीस की रसीद मय प्रमाणित इकठे करके प्रवेश के अंत में संयोजक को सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा भिजवाना है।
 - 14.2 डॉ. आर.के. राघवन की अध्यक्षता में गठित कमेटी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2007 की क्रियान्विन्ति के आदेशानुसार **रैगिंग लेना कानूनन अपराध है**। यदि कोई भी छात्र/छात्रा संस्थान, संस्थान प्रांगण, छात्रावास एवं संस्थान के बाहर रैगिंग लेते हुए पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा undertaking प्राप्त की जायेगी। साथ ही ऐसे छात्र/छात्राओं को संस्थान से निष्कासित करते हुए नामांकन भी निरस्त कर दिया जायेगा।
 - 14.3 प्रवेशित अभ्यर्थियों का नामांकन प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा किया जाता है। इस हेतु अभ्यर्थी को अपना प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। अतः प्रवेश के साथ ही प्रवजन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेवें, जिससे नामांकन में परेशानी ना आवे। किसी अवस्था में विलम्ब के लिये संस्थान की अनुमति से परिशिष्ट-VII में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।
 - 14.4 डिप्लोमा पाठ्यक्रम एक नियमित पाठ्यक्रम है। अतः अभ्यर्थी को अपना अध्ययन आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होकर करना होगा। परीक्षा में बैठने के लिये न्यूनतम उपस्थिति प्राविधिक शिक्षा मण्डल के नियमानुसार पूर्ण करनी आवश्यक होगी।

- 14.5 यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले लेता है तथा अब वह किसी कारणवश पाठ्यक्रम जारी नहीं रखना चाहता तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार **अवधान द्रव्य** संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा नियमानुसार लौटाया जायेगा।
- 14.6 प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की मूल अंकतालिका (जिसके आधार पर उसने प्रवेश प्राप्त किया है) तथा आयु प्रमाण पत्र जमा कर लिये जायेंगे। ये प्रमाण पत्र छात्रा द्वारा प्रथम वर्ष की परीक्षा के बाद, प्रधानाचार्य से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 14.7 अभ्यर्थी प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से नामांकित रहते हुए किसी अन्य मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे और न ही किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामांकन रख सकेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उसका सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से प्रवेश अविलम्ब निरस्त कर मण्डल से उसका नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 14.8 ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग के कारण मंडल द्वारा दंडित किया गया हो/ किया जाता है तो वे अभ्यर्थी नये प्रवेश के हकदार नहीं होंगे।
- 14.9 एक अच्छे विद्यार्थी के लिये आवश्यक अनुशासन, चरित्र निर्माण, नेतृत्व, उत्तरदायित्व की भावना एवं गुणों के विकास पर संस्थाओं में अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिये शारीरिक प्रशिक्षण, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है।
- 14.10 यदि किसी विद्यार्थी को संस्था का अनुशासन भंग करता पाया गया अथवा उसका व्यवहार शैक्षणिक वातावरण के प्रतिकूल हो तो संस्था के प्रधानाचार्य/अधिष्ठाता को उस विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसमें प्रवेश रद्द कर संस्था से निष्कासित करना, किसी भी अवधि के लिये संस्था से निलम्बित करना, आर्थिक दंड देना या एक संस्था से दूसरी संस्थान में स्थानान्तरित करने हेतु निदेशालय को अभिशंषा करना, चरित्र प्रमाण पत्र में प्रतिकूल प्रविष्टि करना आदि सम्मिलित है।
- 14.11 यदि कोई विद्यार्थी बिना पूर्व सूचना व अनुमति के संस्था से निरन्तर पन्द्रह दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम संस्था से अस्थायी रूप से काट दिया जायेगा। कक्षा से किसी भी अवधि की सामूहिक अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता की कार्यवाही मानते हुए विद्यार्थी का नाम संस्था से अस्थायी रूप से काट दिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी को 200/- रुपये का **पुनः प्रवेश शुल्क** जमा करवाने एवं लिखित में भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देने पर पुनः प्रवेश, प्रधानाचार्य अपने विवेकानुसार दे सकेंगे। परन्तु विद्यार्थी को उस सत्र के दौरान पुनः प्रवेश दिये जाने की स्थिति में उक्त अनुपस्थिति के कारण यदि कक्षाओं में उसकी उपस्थिति कम हो जाती है और वह विद्यार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाता है, तो विद्यार्थी स्वयं इसके लिये उत्तरदायी होंगे। इस सम्बन्ध में संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। उपरोक्तानुसार संस्थान में पुनः प्रवेश प्रधानाचार्य द्वारा नहीं दिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम संस्थान से स्थायी रूप से काट दिया जावेगा।
- 14.12 यदि कोई विद्यार्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपा कर या योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश के योग्य न होने पर भी किसी कारणवश प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो उक्त गलती के पता होने पर, चाहे छात्र उस समय किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।
- 14.13 प्रवेश सम्बन्धी समस्त विषयों पर संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश का निर्णय अन्तिम होगा। संयोजक को यह अधिकार है कि वह किसी भी अभ्यर्थी को बिना कोई कारण बताये प्रवेश देने से इंकार कर दे।
- 14.14 प्रवेश सम्बन्धी किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार, जोधपुर शहर में स्थित न्यायालय में ही होगा अन्यत्र नहीं। विवाद बिन्दु के लिये वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्मन एक माह के भीतर प्राप्त होना चाहिए।

- 14.15 विद्यार्थी संबंधित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पढ़ाई के वर्षों में संस्था के समय में किसी भी संस्थान में नौकरी नहीं कर सकेगा।
- 14.16 विद्यार्थी पर प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर के नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपस्थिति, परीक्षा, अगले सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन आदि हेतु मण्डल के दिशा निर्देश लागू होंगे जिसकी प्रति उसे प्रवेश के समय दी जायेगी।
- 14.17 किसी भी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की किसी ब्रांच में प्रवेश हो जाने के पश्चात द्वितीय वर्ष में स्थानान्तरण विभागीय नियमानुसार किया जाना संभव होगा।
- 14.18 केवल राजकीय पॉलिटेक्निक के राज्य पोषित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के द्वितीय/तृतीय वर्ष में अन्य राजकीय पॉलिटेक्निक में स्थानान्तरण, उसी ब्रांच में **स्थान रिक्त होने पर** संभव होंगे।
- 14.19 निजी व निजी जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अन्य किसी पॉलिटेक्निक में **सम्भव नहीं** होगा।
- 14.20 स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अन्य किसी पॉलिटेक्निक में **सम्भव नहीं** होगा।

15 शुल्क :

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शिक्षण के लिए अभ्यर्थियों को सारणी -3 में दिये गये शुल्क महाविद्यालय में कक्षाएँ होने के समय प्रत्येक अभ्यर्थी को नकद/eMitra/बैंक गेटवे द्वारा जमा कराना होगा।

नोट: प्रवेश लेने के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी कारणवश (प्रथम सेमेस्टर के दौरान) संस्थान छोड़ता है तो अभ्यर्थी को A.I.C.T.E. के नियमानुसार शुल्क वापस लौटाया जायेगा।

16. छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क :

- 16.1 समस्त राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु छात्रावास सुविधा उपलब्ध है।
- 16.2 केन्द्रीय परिवर्तित योजना अन्तर्गत छात्रावास में प्रवेश हेतु सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उपस्थिति के समय, प्रधानाचार्य द्वारा आवंटन संबंधी कार्यवाही की जावेगी एवं प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को **सारणी-4** में दिये गये शुल्क की पहली किश्त जमा करानी होगी। द्वितीय किश्त प्रधानाचार्य द्वारा सूचित तिथियों को जमा करानी होगी।
- 16.3 छात्रावास का अवधान द्रव्य व मैस अग्रिम राशि के अतिरिक्त जमा कराई गई शुल्क की राशि वापस नहीं लौटायी जायेगी।
- 16.4 निजी सहभागिता योजना अन्तर्गत स्थापित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्रावास सुविधा की उपलब्धता व छात्रावास शुल्क के संबंध में संबंधित संस्था से सम्पर्क करें।

निदेशक
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान,
जोधपुर

सारणी 1:- विभिन्न वर्गों में आरक्षण हेतु सारणियाँ

सारणी-1(अ) महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु :

पाठ्यक्रम की निर्धारित क्षमता	अनुसूचित जाति (SC) 16%	अनुसूचित जनजाति (ST) 12%	नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer OBC) 21%	अति पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer MBC) 5 %	आर्थिक कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section EWS) 10% *	सामान्य अभ्यर्थी (General)
15	02	02	03	01	02	05
20	03	02	04	01	02	08
24	04	03	05	01	02	09
30	05	04	06	02	03	10
40	06	05	08	02	04	15
60	10	07	13	03	06	21

सारणी-1(ब) निजी / पीपीपी मोड महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु :

पाठ्यक्रम की निर्धारित क्षमता	अनुसूचित जाति (SC) 16%	अनुसूचित जन जाति (ST) 12%	नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer OBC) 21%	अति पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer MBC) 5%	आर्थिक कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section EWS) 10% *	सामान्य अभ्यर्थी (General)	मैनेजमेन्ट सीट (संस्था स्तर पर प्रवेश)
पीपीपी मोड महिला पॉलिटेक्निक							
54	09	06	11	03	05	20	00
निजीमहिला पॉलिटेक्निक							
60 (51+9)	08	06	11	03	05	18	09

* कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.7(2) कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 29.03.2019 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 11/आ.क.व./डीडीबीसी/सान्याअवि/19/14278 दिनांक 12.03.2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (**Economically Weaker Sections- EWS**) के व्यक्तियों को (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्रदत्त आरक्षण के अतिरिक्त) राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में कुल प्रवेश क्षमता की सीटों में से 10 प्रतिशत स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (**Economically Weaker Sections- EWS**) के लिए प्रवेश सामान्य वर्ग की सीटों में से आरक्षित होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सारणी-2 : संस्थाओं के नाम एवं रिपोर्टिंग स्थानों का विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम	संस्थान का नाम जहां अभ्यर्थी रिपोर्टिंग करेंगे	दूरभाष
राजकीय महिला संस्थान			
1.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर	0145-2695195
2.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर	0294-2491575
3.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर	0141-2706688
4.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर	0291-2434187
5.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर	0151-2528874
6.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, कोटा	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, कोटा	0744-2420313
7.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सांगानेर (जयपुर)	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सांगानेर (जयपुर)	0141-2791411
8.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर	05644-297002
निजी महिला संस्थान/पीपीपी मोड महिला			
9.	श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अबोहर रोड, हनुमानगढ़	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, हनुमानगढ़	94143-10972
राजकीय सहशिक्षा संस्थान			
10.	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अलवर	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अलवर	0144-2701645
11.	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर	9414809365
12.	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, झुंझुनू	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, झुंझुनू	01592-297007
13.	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, करौली	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, करौली	9413686695
14.	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सीकर	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सीकर	01572-274020

सारणी-3 : प्रथम वर्ष नॉन-इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क (रुपयों में)

क्र. सं.	मद	राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्राओं से ली जाने वाली फीस		मद	निजी संस्था, निजी जनसहभागिता संस्था एवं राजकीय पॉलिटेक्निक के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु	
		प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में		प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में
1.	राजकीय खाता : क्र.सं. प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	200	--	--	--	--
2.	शिक्षण शुल्क	--	--	शिक्षण शुल्क	10000	10000
3.	अराजकीय खाता : अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय)	500	--	अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय)	7500	--
4.	विविध मद (परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, ड्राइंग शुल्क व पुस्तकालय, बीमा शुल्क)	500	500	विकास शुल्क	4000	4000
5.	पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस) शुल्क	500	500	--	--	--
6.	विद्यार्थी क्लब/विद्यार्थी सभा शुल्क	250	250	--	--	--
7.	खेलकूद शुल्क	250	250	--	--	--
8.	विकास शुल्क	2075	2075	--	--	--
	कुल	4275	3575	कुल	21500	14000
	कुल	7850		कुल	35500	

नोट :

- राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा शुल्क का निर्धारण/परिवर्तन किया जाता है। अतः उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। परिवर्तन की अवस्था में अभ्यर्थी को नवीन शुल्क के अनुसार शेष शुल्क आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथियों को जमा कराना होगा।
- प्रवेश शुल्क एवं अवधान द्रव्य के अतिरिक्त अन्य सभी शुल्क सत्र के आरम्भ व मध्य में (दो किस्तों में) लिया जावेगा।
- निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटेक्निक हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
- सीट-आवंटन पश्चात् अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार अंकित शुल्क में से केवल प्रक्रिया शुल्क रु. 1000/- जमा करवाना होगा तथा शेष शुल्क राशि नकद के रूप में अंतिम आवंटित महाविद्यालय में जमा करानी होगी।
- अवधान द्रव्य राशि (Caution Money) पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दी जायेगी।
- विभिन्न प्रावधानों के तहत शिक्षण शुल्क में छूट के लिये आवश्यकतानुसार परिशिष्ट-I एवं II प्रस्तुत करें।

सारणी-4 : छात्रावास शुल्क

क्र. सं.	मद	राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान		
		प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	
1	2	3	4	
(क) राजकीय खाता				
1.	कमरे का किराया (प्रति विद्यार्थी)	● सिंगल सीटेड	1600	1600
		★ डबल सीटेड	1000	1000
		↔ ट्रिपल सीटेड	600	600
(ख) अराजकीय खाता				
2.	छात्रावास का अवधान द्रव्य (Refundable)	2000	—	
3.	छात्रावास मैस खर्च अग्रिम धन (Refundable)	1500	—	
4.	छात्रावास मैस सिक्यूरिटी	—	—	
5.	पानी के खर्च का शुल्क	*	*	
6.	बिजली के खर्च का शुल्क	*	*	
7.	सामान्य कोष्ठ शुल्क	500	500	
8.	विकास एवं मरम्मत शुल्क	800	800	
9.	कॉमन रूम (यदि उपलब्ध हो तो)	300	300	
10.	वार्डन एवं वर्चमेन सुविधा शुल्क	500	500	

* बिजली व पानी का शुल्क छात्रावास में स्थित मीटर के आधार पर बिल की राशि को सभी छात्रों में समान रूप से बांटकर वसूल किया जायेगा।

● सिंगल सीटेड

★ डबल सीटेड

↔ ट्रिपल सीटेड

नोट: उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। अतः जमा कराई जाने वाली फीस के सम्बन्ध में अन्तिम सूचना संबंधित प्रधानाचार्य से प्राप्त करें।